7.	परियोजना / स्कीम का नाम	ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत (वाराणसी–शक्तिनगर) एस.एच–5 के कि.मी. 87.00 से कि.मी. 115.00 के मध्य बायी / दायी पटरी पर कुल लम्बाई कि.मी. 28 कि.मी. एवं क्षेत्रफल 0.2901 हे0 वन भूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के संबंध में।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उ0प्र0
(ii)	जिला	ओबरा
(iii)	वन प्रभाग	वन प्रभाग ओबरा ।
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0) में	0.2901 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	रक्षित वन
(vi)	हरियाली का धनत्व	0.8
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्नक की जायें) सिंचाई / जलीय परियोजना के संबंध में एक और एल.एफ. और एल.–2 मीटर पर परिगणना और आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	लागू नही है।
(viii)	भूरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नही है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा के अन्तर्गत।
(x)	क्या फाम उद्यान वन्यजीव, अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी काराडोर आदि का भग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीवनकार्ड का टिप्पणियों अनुबंधित की जायें।)	नही
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और दुलर्भ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	नही
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारस्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी सक्षम प्राधिकरण से अपनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	नही
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्योरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रश्नगत कार्य किया जाना जनहित में है जिससे आस–पास के लोगो को बात–चीत करने में सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास वन भूमि ही है अन्य कोई विकल्प वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। इस हेतु भूमि की मॉग न्यूनतम है अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नही) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि दोष अधिकारियों पर की गई कार्यवाही वन ब्यौरा दें तथा उल्लंघन संबंधी अभी भी चल रहें है।	नही
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन ब्यौरा।	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित बनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्याप्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544 / 14–2–2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा के अन्तर्गत 20 कि. मी क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु वांछित धनराशि प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन सीमाओं को	लागू नही है।

	दर्शाता मैप।	
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	लागू नही है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	लागू नही है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	लागू नही है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7,8,9 से पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।	संलग्न है
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
i	जिले के भौगोलिक क्षेत्र	– 6788 वर्ग किलोमीटर।
ii	जिले का वन क्षेत्र	– 3782.86 वर्ग किलोमीटर
iii	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	– 55/640.655 है०
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वर्गीकरण	– 640.46 है०
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	– शून्य
ख	वनेत्तर भूमि	– शून्य
ट	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	– 640.46 है०
ख	वनेत्तर भूमि पर	– शून्य
13	प्रस्ताव की स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक विशेष सिफारिश।	ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत (वाराणसी–शक्तिनगर) एस.एच–5 के कि.मी. 87.00 से कि.मी. 115.00, के मध्य बायी/दायी पटरी पर कुल लम्बाई कि.मी. 28 कि.मी. एवं क्षेत्रफल 0.2901 हे0 वन भूमि में भूमिगत अप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के संबंध में संस्तुति की जाती है।

दिनांकः– 09-5-2017

हस्ताक्षर
नाम

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र